यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ुकदमा नम्बरः—80/2019 प्रार्थना पत्र
ीमति सुगना देवी पत्नि भैरूलाल कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान) ————प्रार्थीया

बनाम

—श्री मोहनलाल पिता लक्ष्मण कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री मांगीलाल पिता भगवान कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
—श्री मांगीलाल पिता छोगालाल कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्रीमति सीता देवी पत्नि गोकल कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री सत्यनारायण पिता होकम कुमावत, उम्र बालिग निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः—6.5.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान —राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कारोई टवार हल्का कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2688, 2689 कुल किता रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के ड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये न सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ोकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को पंजीबद्व किया जाकर रेये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त । जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् वाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा र्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक फा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल टते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के हत स्वीकार किया जाकर ग्राम कारोईकंला पटवार हल्का कारोईकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

स्थित हाल आराजी नम्बर 2688, 2689 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 200/–रूपये (दौ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner